बजट, 2001-2002

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	**पैरा सं. 9 :** "नाबार्ड" द्वारा ग्रामीण आधार-सुविधा विकास निधियों के लिए ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत से घटाकर 10.5 प्रतिशत की जाएगी।	आरआईडीएफ-VII के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को "नाबार्ड" को राज्य सरकारों से केवल 10.5 प्रतिशत ब्याज लगाने का अनुदेश जारी किया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
2.	**पैरा सं. 9 :** आरआईडीएफ-VII की संचित निधि वर्ष 2001-2002 में 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की जाएगी।	आरआईडीएफ-VII की संचित निधि (कार्पस) बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है और राज्यों को आबंटन कर दिए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
3.	**पैरा सं. 9 :** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आगामी तीन वर्षों के भीतर सभी पात्र किसानों को शामिल करेंगे ।	आगामी तीन वर्षों में सभी किसानों को शामिल करने हेतु बैंकों के लिये लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक कुल 2.07 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। मासिक लक्ष्य नियत किए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
4.	**पैरा सं. 9 :** बैंक आकस्मिक मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को शामिल करने हेतु क्रमशः 50,000 रुपए और 25,000 रुपए तक की अधिकतम राशि के लिए व्यक्तिगत बीमा पैकेज प्रदान करेंगे। प्रीमियम के बोझ की साझेदारी कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा की जाएगी।	बीमा योजना प्रारंभ कर दी गई है। दिनांक 31.1.2002 तक 7.44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को इस योजना के अधीन शामिल कर लिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
5.	**पैरा सं. 9 :** "नाबार्ड" वर्ष 2001-2002 के दौरान 1 लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों से जुड़ेगा, जिससे 20 लाख अतिरिक्त परिवारों को ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बंटाईदार और असामी कृषक भी "नाबार्ड" के ऋण के लिए पात्र बनाए जाएंगे।	चालू वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2001 तक "नाबार्ड" और "सिडबी" द्वारा 77,247 स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है।
6.	**पैरा सं. 9 :** "नाबार्ड" और भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक के द्वारा 40 करोड़ रुपए के अंशदान से "नाबार्ड" में एक लघु वित्त विकास निधि स्थापित की गई है।	लघु वित्त विकास निधि की स्थापना की जा चुकी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
7.	**पैरा सं. 9 :** "नाबार्ड" वर्ष 2001-2002 के लिए भी पूंजी अभिलाभ-कर छूट बांड जारी करके निधियां जुटाएगा।	"नाबार्ड" पूंजी अभिलाभ बांड जारी कर चुका है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
8.	**पैरा सं. 9 :** "नाबार्ड" में स्थापित जल संभरण विकास निधि के संसाधनों का उपयोग लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिए किया जाएगा।	इस प्रयोजन के लिए "नाबार्ड" में जल संभरण विकास निधि स्थापित की जा चुकी है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
9.	**पैरा सं. 10 :** ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम, जो शीत भंडारों के लिए चल रही थी, का विस्तार ग्रामीण गोदामों के लिये भी किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को वर्धित सीमाक्षेत्र का ध्यान रखने के लिए उचित रूप से बढ़ाया जाएगा और ऋण के लिए पर्याप्त दीर्घावधिक वापसी-अदायगी की अवधि दी जाएगी जिससे इस प्रकार व्यक्ति, सहकारी समितियां और अन्य सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेकर गोदाम निर्मित कर सकेंगे।	ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण/विस्तार की नई ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम अनुमोदित कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
10.	**पैरा सं. 11 :** "नाबार्ड" फसलों के भंडारण के निधिपोषण के लिए ब्याज की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत करेगा।	ब्याज दर कम करने का परिपत्र जारी कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
11.	**पैरा सं. 12 :** कृषि-स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिक्स और कृषि कारोबार केंद्रों की स्थापना करने की स्कीम "नाबार्ड" की सहायता से प्रारंभ की जाएगी। केन्द्रों को स्थापित करने के लिए "नाबार्ड" के पुनर्वित्त से बैंकों द्वारा आकर्षक शर्तो पर ऋण प्रदान किया जाएगा।	कृषि क्लिनिक्स और कृषि-कारोबार केंद्रों की स्कीम को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे "नाबार्ड" द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को परिचालित किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
12.	**पैरा सं. 13 :** पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फसल उत्पादकता सुधारने के लिए "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म "जल प्रबंधन" पर केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के लिए 61 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।	वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह स्कीम "नाबार्ड" के माध्यम से प्रारंभ किए जाने के लिए तैयार है।
13.	**पैरा सं. 14 :** "पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" हेतु 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ।	यह स्कीम प्रारंभ की गई है। वर्ष 2001-2002 के लिए इस स्कीम हेतु कुल 59.75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से अभी तक 52.15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
14.	**पैरा सं. 15 :** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे दिनांक 25.12.2000 को प्रारंभ किया गया था, को वर्ष 2001-2002 के लिए 2,500 करोड़ रुपए का एक और आबंटन किया जाएगा।	इस स्कीम को अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक शत-प्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित स्कीम में परिवर्तित किया जा चुका है और इस प्रयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों से निधियां जारी करने हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। 26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत कर दिए गए हैं। इन कार्यो को जून, 2002 तक और कुछ मामलों में अक्तूबर/नवम्बर, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है।
15.	**पैरा सं. 16 :** अगले 6 वर्षों में अधिकांश शेष गांवो का विद्युतीकरण पूरा करना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसका वित्तपोषण बढ़ाया जा रहा है ,के अधीन ग्राम विद्युतीकरण कार्यो के लिए राज्यों को सहायता देना।	ग्राम विद्युतीकरण को अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अधीन शामिल किया गया है। निधियों का 10 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं और कुल 210 करोड़ रुपए की पहली किस्त राज्यों को जारी की जा चुकी है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
16.	**पैरा सं. 16 :** दलित बस्तियों, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के घरों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत बोर्डो को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ऋण सहायता बढ़ाना।	दिनांक 25.01.2002 से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने एक स्कीम प्रारंभ की है, जो पूर्ण रूप से ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत संगठनों/राज्य सरकारों को ऋण सहायता देकर दलित बस्तियों का विद्युतीकरण करती है। इस स्कीम के लिए ऋण अवधि 2 वर्षो की छूट सहित 10 वर्ष है और ब्याज दर चूक निलंब (एस्क्रो) सहित 10 प्रतिशत और चूक निलंब (एस्क्रो) रहित 10.55 प्रतिशत है।
17.	**पैरा सं. 16 और 25 :** (i) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क बढ़ाकर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना।	(क) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अधीन देश भर में 63 वितरण सर्किलों को पूर्ण वितरण फीडर मीटरिंग, ऊर्जा लेखापरीक्षा, चोरी पर नियंत्रण और उसे दूर करने, स्थिर वोल्टता स्तर और अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति के साथ "उत्कृष्टता के मॉडल" बनाने के लिए सर्वोत्तम तकनीकी पद्धतियां लागू करने हेतु अपनाया गया है। यह कार्यक्रम स्वतंत्र मानीटरिंग और आकलन वाला बनाया जा रहा है।
	(ii) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए आयोजना आवंटन 1500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अधीन उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सुधार कार्य प्रारंभ करते हैं।	(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अधीन 1500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान मार्च/अप्रैल, 2001 के अंत तक राज्यों को निधियां जारी की गई थीं। लगभग सभी राज्यों ने स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की कार्रवाई कर दी है। (ग) आज की तारीख तक, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने सुधार के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
18.	**पैरा सं. 16 :** ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आरआईडीएफ से कम से कम 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जानी है ।	"नाबार्ड" ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के लिए दिनांक 31.1.2002 तक 226 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। कुल 80 करोड़ रुपए की स्कीमें स्वीकृति के लिए संवीक्षाधीन हैं।
19.	**पैरा सं. 16 :** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को आयकर अधिनियम की धारा 54 ङ ग के अधीन "नाबार्ड" और "एनएचएआई" के साथ पूंजी अभिलाभ कर छूट बांड जारी करने हैं।	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 2001-2002 के दौरान पूंजी अभिलाभ-कर छूट बांड जारी किया है । वर्ष के लिए 1000-1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 15.2.2002 तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 907 करोड़ रुपए की वसूली की है। **कार्रवाई पूरी हो गई है ।**
20.	**पैरा सं. 17 :** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की उगाही और वितरण दोनों में राज्य सरकारों को अधिक बड़ी भूमिका प्रदान की जानी हैं। खाद्यान्नों पर सब्सिडी प्रदान करने की बजाय राज्य सरकारों को गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये कम दरों पर खाद्यान्न की उगाही और वितरण करने योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उगाही को विकेंद्रीकृत करने और खाद्य प्रबंधन से संबद्ध अन्य मुद्दों पर राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसने केन्द्रीय मंत्रियों और कुछ मुख्यमंत्रियों की एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया। इस समिति ने अपनी पहली बैठक दिनांक 6.7.2001

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	प्रदान की जाएगी । इन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए जाने हैं।	और दूसरी बैठक दिनांक 5.9.2001 को आयोजित की। कुछ राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की कार्यप्रणाली और जटिलता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। स्थायी समिति अपना कार्य कर रही है और खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में परिवर्तन करने के लिए कार्य प्रणालियां राज्यों के परामर्श और सहयोग से तैयार की जाएंगी।
21.	**पैरा सं. 19 :** खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों के स्वतंत्र रूप से अंतर्राज्यीय आवागमन और ऐसी वस्तुओं के भंडारण और स्टाक पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रचालन की समीक्षा। उक्त अधिनियम के अधीन आवश्यक घोषित वस्तुओं की सूची की भी समीक्षा की जाएगी ताकि उनकी संख्या को अपेक्षित न्यूनतम तक लाया जा सके।	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रचालन की समीक्षा राज्य सरकारों के परामर्श से की गई है। राज्यों के बीच आम सहमति है कि प्रतिबंध, जो अब अधिनियम के अधीन आवश्यक नहीं हैं और जो खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों के स्वतंत्र अंतर्राज्यीय आवागमन और व्यापार में बाधा डालते हैं, हटा दिए जाने चाहिएं। तदनुसार, गेहूं, धान/चावल, मोटे अनाजों, चीनी, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों के संबंध में लाइसेंसीकरण, भंडार सीमा और आवागमन संबंधी प्रतिबंधों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन एक केन्द्रीय आदेश जारी करके हटाने का निर्णय लिया गया है । यह आदेश दिनांक 15.2.2002 को जारी किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन आवश्यक के रूप में घोषित वस्तुओं की सूची की भी समीक्षा की गई है और आवश्यक वस्तुओं की सूची से निम्नलिखित वस्तुओं को हटाने का निर्णय लिया गया है: 1. सीमेंट; 2. वस्त्र उद्योग मशीनरी; (i) बुनाई मशीन (ii) कताई मशीन (iii) लेस मेकिंग मशीन (iv) विद्युतचालित करघे (v) प्रसंस्करण मशीनरी 3. रेशम से निर्मित वस्त्र; 4. मानव निर्मित सेलूलोसयुक्त और गैर-सेलूलोसयुक्त स्पन फाइबर से पूर्णतः अथवा अंशतः निर्मित वस्त्र; 5. मानव-निर्मित सेलूलोसयुक्त और गैर-सेलूलोसयुक्त फिलामेंट यार्न से पूर्णतः अथवा अंशतः निर्मित वस्त्र; 6. सामान्य प्रकाश व्यवस्था सेवा लैम्प; 7. इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर और इसके समान अन्य घरेलू उपकरण; 8. इलेक्ट्रिकल केबल और तार; 9. मानव-निर्मित सेलूलोसयुक्त और गैर-सेलूलोसयुक्त स्टेपल फाइबर; 10. निम्नलिखित सामग्री में से किसी वस्तु द्वारा पूरे तौर पर या आंशिक रूप से बना धागा : (i) ऊन (ii) मानव-निर्मित सेलूलोसयुक्त स्पन फाइबर

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(iii) मानव-निर्मित गैर-सेलूलोसयुक्त स्पन फाइबर (iv) रेशम 11. (i) मानव-निर्मित सेलूलोसयुक्त तथा गैर-सेलूलोसयुक्त फिलामेंट यार्न, (ii) नाइलोन टायर यार्न/कोर्ड/फेब्रिक; 12. (i) घरेलू तथा समान उद्देश्यों के लिए स्विच, (ii)2-एएमपी स्विच, (iii) 3-पिन प्लग और साकेट आउटलेट उपरोक्त परिवर्तनों की अधिसूचना संबंधी आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 15.2.2002 को जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की संख्या कम होकर 18 रह जाएगी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
22.	**पैरा सं. 24 :** राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय सक्षमता की पुनःस्थापना तथा राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन	(i) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सभी राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन किए गए हैं। योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति ने केन्द्रीय संगठनों के लिए राज्य बिजली बोर्डो की देयताओं के एकबारगी निपटान से सम्बद्ध सुधार का प्रस्ताव किया है। इस योजना को, राज्य सरकारों की सहमति से कार्यान्वित किया जा रहा है। (ii) अभी तक, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर-प्रदेश ने सुधार संबंधी विधान को पारित करने के पश्चात् अपने राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन किया है। दिल्ली तथा मध्य प्रदेश ने भी अपने सुधार संबंधी कानून पारित कर दिए हैं तथा बोर्डों की पुनर्गठन संबंधी प्रकिया शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है। संसद में 30.8.2001 को पेश किए गए विद्युत विधेयक, 2001 से अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने सुधार संबंधी विधानों को पारित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
23.	**पैरा सं. 24:** दिसम्बर 2001 तक 100% मीटर लगाने का समयबद्ध कार्यक्रम तथा बिजली चोरी को कम करने तथा अंततः उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम	इस घोषणा के अंतर्गत 11 किलोवाट फीडर तक के लिए 100% मीटरिंग की परिकल्पना की गई है। इस घोषणा के अनुरूप, 16 राज्यों द्वारा 11 किलोवाट फीडरों की मीटरिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष राज्यों द्वारा जून, 2002 तक इस कार्य को पूरा कर लिए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः- (क) 3-3-2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि 11 किलोवाट फीडर स्तर तक की विद्युत लेखा-परीक्षा आगामी 6 महीनों के भीतर लागू कर दी जानी चाहिए तथा स्थानीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जानी चाहिए। इसके

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		साथ ही यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि आगामी 2 वर्षों में बिजली-चोरी का पता लगाने और उसे समाप्त करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। (ख) विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध तरीके से बिजली की चोरी को समाप्त करने की वचनबद्धता शामिल है। (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा उप-पारेषण और वितरण के सुधार हेतु जिला-स्तर के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के कार्य में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। (घ) बिजली अधिनियम, 2001 के अंतर्गत बिजली की चोरी के लिए कठोर दण्ड का प्रस्ताव रखा गया है।
24.	**पैरा सं. 24:** सभी स्तरों पर ऊर्जा की लेखापरीक्षा	16 राज्यों ने 11 किलोवाट फीडरों की 100% मीटरिंग का कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों द्वारा इसे जून 2002 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
25.	**पैरा सं. 24:** एम ई आर सी द्वारा शुल्क निर्धारण एवं उसका अनुपालन।	(क) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य विद्युत विनियमन आयोगों (एस.ई.आर.सी.) की स्थापना कर सकते हैं। अभी तक 19 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना कर ली है तथा 12 आयोगों ने शुल्क संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। (ख) दिनांक 3-3-2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब तक न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगन या रद्द न किया जाए, सी ई आर सी/एस ई आर सी के आदेशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। (ग) विद्युत विधेयक, 2001 के अंतर्गत एस ई आर सी का गठन राज्यों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।
26.	**पैरा सं. 24:** वितरण कार्य का वाणिज्यीकरण	(क) 3-3-2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक अथवा सभी उपायों के माध्यम से दो-तीन वर्षों के भीतर वितरण क्षेत्र में वाणिज्यिक सक्षमता प्राप्त की जानी है:- (i) पूरी जिम्मेदारी वाले लाभ केन्द्रों की स्थापना; (ii) स्थानीय वितरण का कार्य पंचायतों/स्थानीय निकायों/फुटकर केन्द्रों/उपयोगकर्ता संघों को सौंपना;

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(iii) वितरण कार्य का निजीकरण (iv) कोई अन्य साधन (ख) वितरण के सुधार तथा इसके निजीकरण के संबंध में उपाय सुझाने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
27.	**पैरा सं. 24 :** (i) पांच राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा और अधिक राज्य सुधार प्रकिया को अपनाएंगे।	(i) भारत सरकार अभी तक 19 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी है।
	(ii) सुधार करने वाले राज्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में विद्युत बोर्डों को तरजीही आबंटन, उत्पादन एवं वितरण में सीपीएसयू द्वारा अतिरिक्त निवेश और विदेशी सहायता के तरजीही आबंटन के रूप में भारत सरकार से सहायता भी प्राप्त करेंगे।	(ii) मार्च, 2001 के मुख्यमंत्री सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में यह कहा गया है कि केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति को वर्तमान खरीद हेतु अदायगी करने तथा पिछली बकाया राशि के प्रतिभूतीकरण की क्षमता के प्रदर्शन से जोड़ना होगा। विश्व बैंक, सुधार करने वाले राज्यों उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को सहायता प्रदान कर रहा है। एशियाई विकास बैंक द्वारा सुधार करने वाले राज्यों गुजरात तथा मध्य प्रदेश को सहायता प्रदान की जा रही है। पावरग्रिड ने सुधार करने वाले राज्यों में संकटग्रस्त अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों में निवेश करने की पेशकश की है।
28.	**पैरा सं. 26 :** विद्युत क्षेत्रक में सुधार प्रक्रिया को तेज करने और इस क्षेत्रक के सभी विद्यमान केन्द्रीय कानूनों के एकीकरण के लिए इस सत्र के दौरान विद्युत विधेयक, 2001 को प्रस्तुत किया जाएगा।	इस विधेयक को 2001 के मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस विधेयक को विद्युत संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।
29.	**पैरा सं. 28 :** स्वर्ण चतुर्भुज के चरण-1 के शेष हिस्से का कार्य इस वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा।	दिल्ली-कोलकाता-चैन्नई-मुम्बई-दिल्ली को जोड़ने वाले स्वर्ण चतुर्भुज की 5,851 किलोमीटर (संशोधित) की कुल लम्बाई में से 1,063 किलोमीटर सड़क चार-लेन वाली है तथा 4,129 किलोमीटर की लम्बाई पर अभी कार्य चल रहा है। शेष लम्बाई में 144 किलोमीटर मार्ग के लिए संविदा हेतु अनुमोदन दे दिया गया है तथा 428 किलोमीटर के लिए चालू वर्ष के दौरान ही संविदा प्रदान किए जाने की योजना है; इसमें इलाहाबाद बाईपास का 87 किलोमीटर का मार्ग शामिल नहीं है, जिसके लिए जून, 2002 तक अधिनिर्णय दिए जाने की आशा है।
30.	**पैरा सं. 29 :** उपकर निधि से राज्य सड़कों के लिए राज्यों को 962 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।	वर्ष 2000-01 के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में राज्य सड़कों के लिए 990 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें से 332 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान, सीआरएफ के अंतर्गत राज्य सड़कों के लिए 962 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। चालू वर्ष के दौरान, सीआरएफ के अंतर्गत, अभी तक 120.09 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		राज्यों द्वारा अभी तक जारी की गई राशि के उपयोग की पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात निधि से और राशि राज्यों को जारी कर दी जाएगी। राज्यों को इस संबंध में शीघ्र प्रगति करने के लिए कहा गया है।
31.	**पैरा सं. 31 तथा 32 :** दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण क्षेत्रकों को एकीकृत तरीके से शामिल करने के लिए समविकासिता विधेयक (कन्वरजैंस बिल) प्रस्तुत करना।	संचार समविकासिता विधेयक लोक सभा में 31.8.2001 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इस विधेयक को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है।
	मार्च, 2001 तक टेलीफोन सघनता प्रति सौ पर 3.5 होना।	31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, समग्र टेलीफोन सघनता प्रति सौ व्यक्तियों पर 3.95 है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
32.	**पैरा सं. 33 :** बड़े भारतीय पत्तनों की समग्र क्षमता 2001-02 के अंत तक 376 मिलियन टन तक हो जाएगी तथा छोटे पत्तनों की क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी होगी।	नौंवी योजना के अंत तक बड़े पत्तनों की स्थापित क्षमता बढ़कर लगभग 344 मिलियन टन होने की आशा है। पिछले चार वर्षों में ट्रैफिक में वृद्धि नौंवी योजना कार्य दल के ट्रैफिक अनुमान से कम रही है। ट्रैफिक की निम्न वृद्धि दर से यह प्रमाणित हुआ है कि क्षमता सृजन पर व्यय को कम कर दिया जाए क्योंकि वर्तमान क्षमता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी देश की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। छोटे पत्तन, जो संबंधित समुद्रीय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तथा कैप्टिव पत्तनों द्वारा 2001-02 के दौरान लगभग 100 मिलियन टन कार्गो का व्यापार किए जाने की आशा है।
33.	**पैरा सं. 34 :** न्यू मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन का निगमीकरण किया जाना है।	अपनी उत्तरवर्ती कंपनियों में मौजूदा बड़े पत्तनों की उपयोगिता को निहित करने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के साथ-साथ महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए लोक सभा में 31.8.2001 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस संशोधन से जवाहर लाल नेहरु पत्तन के निगमीकरण के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। यह विधेयक परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।
34.	**पैरा सं. 37 :** भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के अधीन, जिसका भारतीय स्टेट बैंक मुख्य प्रवर्तक होगा, एक "क्लीयरिंग कारपोरेशन" की स्थापना की जाएगी और इसके जून, 2001 तक स्थापित होने की आशा है। यह विदेशी मुद्रा लेन-देनों के व्यवस्थापन में भी मददगार होगा।	द क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) का निगमीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 30 अप्रैल, 2001 को किया गया है।
35.	**पैरा सं. 37 :** आदेश संचालित स्क्रीन आधारित प्रणाली के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी।	इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी द्वारा मिलकर आवश्यक विनियामक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
36.	**पैरा सं. 37 :** नीलामियों में पारदर्शी इलैक्ट्रानिक बोलियों और वास्तविक समय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 2001 तक एक इलैक्ट्रानिक बातचीतशुदा लेन-देन प्रणाली स्थापित की जाएगी।	इलैक्ट्रानिक बातचीतशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) पर परीक्षण आरंभ कर दिए गए है।
37.	**पैरा सं. 37 :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2001-02 के दौरान इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (ईएफटी) एवं वास्तविक समय सकल व्यवस्थापन प्रणाली (आरटीजीएस) स्थापित की जाएगी।	एक वास्तविक समय सकल व्यवस्थापन प्रणाली (आरटीजीएस) अभी कार्यान्वयनाधीन है। इसके साथ-साथ, निधि अंतरण के मौजूदा तंत्र में कुछ सुधार लागू किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियों के अंतर-शहरी आदान-प्रदान में अब कम समय लगता है।
38.	**पैरा सं. 37 :** स्ट्रिप्स, जीरो कूपन बांड, डीप-डिस्काउंट बांड और इसी तरह के बांड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे।	अधिसूचना 15.2.2002 को जारी कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
39.	**पैरा सं. 37 :** पुराने लोक ऋण अधिनियम को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।	सरकारी प्रतिभूति विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे विधि मंत्रालय को विधीक्षा के लिए भेजा गया है।
40.	**पैरा सं. 37 :** प्रतिभूतिकरण पर व्यापक कानून बनाया जाएगा। **पैरा सं. 40 :** चूक के मामले में प्रतिभूतियों के पुरोबन्ध एवं प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करने तथा संस्थाओं द्वारा अपनी बकाया धनराशियां वसूल की जा सकें, इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा।	एक समेकित विधेयक, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतिकरण, परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा पुरोबन्ध करने का प्रावधान है, का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा विधीक्षा के लिए इसे विधि मंत्रालय को भेजा गया है। आशा है कि आने वाले बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
41.	**पैरा सं. 38 :** इन क्रियाकलापों की मानीटरिंग एवं कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, शेयर बाजारों तथा वित्त मंत्रालय को शामिल करके एक ग्रुप बनाया जाएगा।	ऋण बाजार के विकास के लिए घोषित उपायों की प्रगति की मानीटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, शेयर बाजारों तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक ग्रुप तैयार किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
42.	**पैरा सं. 39 :** 2001-02 के दौरान सात और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) स्थापित किए जाएंगे।	दिल्ली, पुणे, लखनऊ तथा कोलकाता, प्रत्येक स्थान पर एक-एक चार नए डीआरटी स्थापित किए गए हैं। शेष तीन डीआरटी कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम तथा रांची में स्थापित किए जाने की अग्रिम अवस्था में हैं।
43.	**पैरा सं. 41 :** भर्ती के लिए बैंक प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग में 31 जुलाई, 2001 तक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को समाप्त कर दिया जाएगा।	सभी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को समाप्त कर दिया गया है। 19.9.2001 को बैंकों को निदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बोर्डों के अनुमोदन से भर्ती संबंधी अपनी कार्यनीति तैयार करें। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
44.	**पैरा सं. 42 :** 1. विदेश में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियां अब तीन वर्ष के मुनाफे की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से वार्षिक आधार पर 50 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश कर सकती हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के अंतर्गत 2.3.2001 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
	2. जिन कंपनियों ने एडीआर/जीडीआर जारी किए हैं, वे इन प्राप्तियों के 100% तक का विदेशी निवेश कर सकती हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के अंतर्गत 2.3.2001 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
	3. अच्छे रिकार्ड वाली बड़ी धनराशियों का निवेश जारी करने की इच्छुक कंपनियां अब विदेशी निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम ब्लाक-आवंटन प्राप्त कर सकती हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के अंतर्गत 2.3.2001 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
	4. जिन भारतीय कंपनियों ने एडीआर/जीडीआर जारी किए हैं, वह 100 मिलियन अमरीकी डालर तक या एक वर्ष में अपने निर्यातों की दस गुणा धनराशि के बराबर, जो भी अधिक हों, विदेशी कंपनियों के शेयर प्राप्त कर सकती हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के अंतर्गत 2.3.2001 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा 17.4.2001 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
45.	**पैरा सं. 42 :** एडीआर/जीडीआर को दोहरी प्रतिमोचकता प्रदान की जाएगी। परिवर्तित स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनःपरिवर्तित किया जा सकता है और जहां कही भी लागू हो इस पर क्षेत्रकीय अधिकतम सीमा लगाई जा सकती है।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के अंतर्गत 2.3.2001 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों तथा साधारण शेयर निर्गम स्कीम में (डिपाजिटरी प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) 13.2.2002 को संशोधन जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 13.2.2002 को प्रचालनात्मक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
46.	**पैरा सं. 42:** भारतीय कम्पनियों को अब ब्लाक (एकमुश्त) शेयरधारिता के बदले एडीआर/जीडीआर निर्गमों के प्रायोजन द्वारा विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के तहत समर्थकारी अधिसूचना दिनांक 2.3.2001 को जारी की गई। एडीआर/जीडीआर निर्गमों को जारी करने सम्बन्धी योजना में आवश्यक संशोधन करने संबंधी प्रेस नोट सरकार द्वारा दिनांक 16.4.2001 को जारी किया गया था। संबंधित कानूनी प्रस्तावों की जांच की जा रही है।
47.	**पैरा सं. 43:** व्यावसायिक सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत सहभागी फर्मों तथा कम्पनियों के निवेशों को विदेशी निवेशों की अनुमति दी जाएगी।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के तहत दिनांक 2.3.2001 को अधिसूचना जारी की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
48.	**पैरा सं. 43:** विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों में स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत लाभ लेने वाले भारतीय कर्मचारी पांच वर्षों के ब्लाक के बजाय अब विदेशों में वार्षिक रुप से 20,000 अमरीकी डालर का निवेश कर सकते हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के तहत दिनांक 2.3.2001 को अधिसूचना जारी की गई। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
49.	**पैरा सं. 44:** विदेशी संस्थागत निवेशकों को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक पोर्टफोलियो निवेश-मार्ग के अधीन किसी कम्पनी में निवेश करने की अनुमति दी गई है। विशेष प्रक्रिया के तहत इसको 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 40 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जा रहा है।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के तहत दिनांक 2.3.2001 को अधिसूचना जारी की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
50.	**पैरा सं. 44:** गैर-बैंकिंग वित्तीय (एनबीएफसी) कम्पनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के घरेलू बाजार में अपनी धारिता का कम से कम 25 प्रतिशत त्याग करने की शर्त को हटाया जा रहा है बशर्ते विदेशी निवेशक न्यूनतम 50 मिलियन अमरीकी डालर लाएं।	इस सम्बन्ध में डीआईपीपी द्वारा दिनांक 17.4.2001 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
51.	**पैरा सं. 44:** एनबीएफसी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की शर्त पर स्वतः मार्ग पर रखा गया है।	इस सम्बन्ध में डीआईपीपी द्वारा दिनांक 17.4.2001 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
52.	**पैरा सं. 47:** प्रशासित मूल्य प्रणाली को हटाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना को मार्च, 2002 तक तैयार कर लिया जाएगा।	प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने सम्बन्धी कार्य योजना को 1 अप्रैल, 2002 से कार्यान्वयन हेतु अन्तिम रुप दिया जा रहा है।
53.	**पैरा सं. 48:** यूरिया को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त रखने के प्रथम चरण को 1 अप्रैल, 2006 तक पूरा करने की कार्रवाई अप्रैल, 2001 से प्रारम्भ की जाएगी। **पैरा सं. 48:** यूनिट विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य स्कीम के स्थान पर समूह रियायत स्कीम चलाई जाएगी। वर्तमान अधिकतम बिक्री मूल्य जारी रखा जाएगा और प्रत्येक समूह के लिए रियायत निर्दिष्ट की जाएगी ताकि यूनिट निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य पर यूरिया को बेच सकें।	उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रतिधारण मूल्य स्कीम के स्थान पर समूह रियायत स्कीम लाने का एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
54.	**पैरा सं. 48:** नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस पर के आधारित यूरिया यूनिटों के लिए रियायत दर को इन आपूर्ति स्टॉकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से सम्बद्ध किया जाएगा।	बजट में की गयी घोषणा को दिनांक 9.7.2001 से कार्यान्वित कर लिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
55.	**पैरा सं. 49:** चीनी को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने के लिये चीनी में भावी सौंदों/वायदा व्यापार को वर्ष 2001-2002 में प्रारम्भ किया जाएगा।	चीनी में वायदा व्यापार की अनुमति प्रदान की गई है और तीन एक्सचेंजों को "सिद्धान्ततः" इस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। आशा है कि चीनी में वायदा व्यापार नवम्बर, 2002 तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
56.	**पैरा सं. 49:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का खुदरा मूल्य मार्च, 2001 से संशोधित कर 13.25 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा।	यह संशोधन 1 मार्च, 2001 से प्रभावी हो गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
57.	**पैरा सं. 50:** फार्मास्यूटिकल नीति में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि जहां मूल्य में असामान्य रुप से बढ़ोतरी होती है, वहां सरकार के साथ उसकी व्यापक हस्तक्षेप की शक्ति से मूल्य नियंत्रण के विस्तार को पर्याप्त रुप से घटाया जा सके।	सरकार ने वर्ष 2002 में फार्म्मास्यूटिकल नीति को स्वीकृत कर दिया है तथा इसकी घोषणा दिनांक 15.2.2002 को की गई है। इस नीति के अनुसार, मूल्य नियंत्रण अवधि पर्याप्त रुप से घटाई जाएगी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
58.	**पैरा सं. 51:** "एसआईसीए" को रद्द करके तथा राष्ट्रीय कम्पनी विधि बोर्ड की स्थापना हेतु कम्पनी अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।	इराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में दिनांक 30.8.2001 को कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2001 लाया गया। "एसआईसीए" को रद्द करने सम्बन्धी विधेयक को भी दिनांक 30.8.2001 को पेश किया गया। इस विधेयक को गृह मंत्रालय की स्थाई समिति को जांच हेतु तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
59.	**पैरा सं. 52:** औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय Vख को संशोधित किया जाएगा ताकि संस्थान को बंद करने हेतु उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेने के उपबंध को अब 100 कामगारों के बजाय 1000 तक के कामगारों को निर्धारित करने वाले औद्योगिक संस्थान पर लागू किया जा सके। पृथक्करण क्षतिपूर्ति को सेवा पूर्ण करने के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन हेतु उपयुक्त विधान बजट सत्र में लाया जाएगा।	योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित श्रम सुधार सम्बन्धी मंत्रियों के समूह ने संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया और प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करते हुए एक मसौदा विधेयक को शीघ्र अन्तिम रुप दिए जाने की सम्भावना है।
60.	**पैरा सं. 53 और 54:** संविदा श्रम अधिनियम की धारा 10 में एक संशोधन किया जाएगा ताकि गतिविधियों के स्रोतों को बिना किसी प्रतिबंध के विस्तार करने तथा संविदा नियुक्तियों की पेशकश को सुविधाजनक बनाया जा सके। संविदा श्रम अधिनियम में संशोधन करने हेतु उपयुक्त विधान को इस सत्र में लाया जाएगा।	श्रम सुधार सम्बन्धी मंत्रियों के समूह ने इस विषय पर और चर्चा करने का निश्चय किया ताकि वे संविदा श्रम पर नए विधान को पारित करने के प्रस्ताव पर अपने विचारों को अन्तिम रुप दे सकें। ऐसा करते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए अद्यतन निर्णय को भी ध्यान में रखा जाएगा।
61.	**पैरा सं. 55:** प्रभावित कामगार (जो प्रतिमाह 10,000 रुपए तक वेतन ले रहे है) को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु "आश्रयबीमा योजना" नामक एक नई समूह बीमा योजना लाई जाएगी। इस योजना को सरकार के स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा "हानि-लाभ रहित" आधार पर चलाया जाएगा। वे पूर्ण ब्यौरों की घोषणा जून, 2001 के अन्त में करेंगी।	यह नई समूह बीमा योजना उन कामगारों (जो प्रतिमाह 10,000 रुपए तक वेतन ले रहे हैं) को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए है जो कार्यालय की पुनर्संरचना के परिणामस्वरुप अपनी रोजी खो सकते हैं। इस योजना में एक वर्ष की समयावधि हेतु कामगारों को उनके अन्तिम आहरित वार्षिक वेतन के 30 प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना को 10 अक्तूबर, 2001 को प्रारम्भ किया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
62.	**पैरा सं. 59:** चमड़े के सामान, जूतों और खिलौनों से सम्बन्धित 14 मदों को अनारक्षित करना।	14 मदों को अनारक्षित करने सम्बन्धी अधिसूचना 29 जून, 2001 को जारी की गई। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
63.	**पैरा सं. 62:** पेटेन्टों की मंजूरी को रोकने के लिए जन-मानस में पहले से मौजूद जानकारी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने हेतु एक पारम्परिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है।	भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग तथा राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान द्वारा 6 जून, 2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञों को इस काम में लगाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पारम्परिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पर कार्य पहले ही प्रारम्भ हो गया है।
64.	**पैरा सं. 62:** राज्य औषधि-परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई स्कीम भी शुरु की जा रही है।	भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को सुदृढ़ करने सम्बन्धी एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना को वर्ष 2000-2001 में शुरु किया गया था। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को वर्ष 2000-2001 के दौरान सहायता प्रदान की गई थी और 20.46 करोड़ रुपए की सीमा तक निधियां जारी की गई थीं। चालू वर्ष के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करना प्रस्तावित है।
65.	**पैरा सं. 63:** नौंवी योजना के बाद बुनियादी शिक्षा से संबद्ध सभी मौजूदा योजनाओं को सर्वशिक्षा अभियान में मिला दिया जाएगा और वे मार्च, 2002 तक देश में सभी जिलों को इसमें शामिल करेगीं।	सर्वशिक्षा अभियान के तहत मार्च, 2002 तक देश में सभी जिलों को शामिल करने और बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध सभी योजनाओं को सर्वशिक्षा अभियान में मिलाने के कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 593 जिलों में से 284 जिलों को डीपीईपी तथा लोक जुम्बिश परियोजना में शामिल कर लिया गया है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सर्वशिक्षा अभियान ने अब तक लगभग पूर्व-परियोजना सम्बन्धी गतिविधियों हेतु 51.79 करोड़ रुपए की कुल राशि स्वीकृत करते हुए 294 गैर-डीपीईपी जिलों को शामिल कर लिया है। शेष 15 गैर-डीपीईपी जिलों को मार्च, 2002 तक शामिल कर लिया जाएगा। संबद्ध राज्यों को उनके राज्यों में शेष बचे जिलों के संबंध में प्रस्ताव भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।
66.	**पैरा सं. 64:** रुड़की इन्जीनियरिंग कालेज का आईआईटी के रुप में उन्नयन किया जाएगा।	रुड़की विश्वविद्ययालय को भारत सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है और दूसरे अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा इसे आईआईटी, रुड़की में बदल दिया गया है। राज्य सभा में एक विधेयक लम्बित है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
67.	**पैरा सं. 64:** आईआईटी के आधार को विस्तारित किया जाएगा, क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा सरकारी/निजी भागीदारी से नए संस्थान खोले जाएंगे।	क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों की पुनर्सरचना हेतु जून, 1996 में डा. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया था। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिशों पर विस्तार से जांच की और यह महसूस किया कि शैक्षणिक/प्रशासनिक स्वायत्तता के समान उद्देश्य को क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों को सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय घोषित करके प्राप्त किया जा सकता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, विभाग ने सभी 17 क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों को नए संगम ज्ञापन मसौदे नियम परिचालित किए और अनुरोध किया कि वे शासी निकाय की अनुमति से इन्हें अपनाएं। 17 क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों में से अबतक 9 क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों ने नए संगम ज्ञापन/नियमों को स्वीकार कर लिया है।
68.	**पैरा सं. 64:** स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययनों हेतु एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ की जाएगी और स्कूल से कॉलेज स्तरों तक सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य उपायों की योजना बनाई जाएगी।	स्कूलों में संशोधित कम्प्यूटर अध्ययन तथा साक्षरता योजना, (क्लास) 2001 को अनुमोदित किया गया है। उच्च स्तरों पर कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटर शिक्षा तथा विकास पर एक योजना प्रारम्भ की है। कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना करने, कम्प्यूटर-शिक्षा के उन्नयन, एमसीए पाठयक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा तथा कालेज अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक स्टाफ को कम्प्यूटरों की जानकारी प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।
69.	**पैरा सं. 65:** ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की संस्थाओं को की गयी अदायगियों पर शत-प्रतिशत आयकर छूट का इन्जीनियरिंग संस्थानों में भी विस्तार किया जा रहा है।	अधिसूचना दिनांक 4.5.2001 को जारी की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
70.	**पैरा सं. 66:** भारतीय बैंक एसोसिशयन ने एक नयी व्यापक शिक्षा ऋण योजना तैयार की है। इस योजना के तहत भारत में अध्ययन हेतु 7.5 लाख रुपए तथा विदेश में अध्ययन हेतु 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।	शिक्षा ऋण योजना को कार्यान्वित किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 28 अप्रैल, 2001 के परिपत्र में सभी बैकों को अनुदेश जारी कर दिए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
71.	**पैरा सं. 67:** गरीब परिसम्पत्तिविहीन महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष को सुदृढ़ किया जाएगा।	राष्ट्रीय महिला कोष के उधार योग्य संसाधनों की संचित निधि (कार्पस) को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
72.	**पैरा सं. 67:** महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 650 विकास खंडों में महिलाओं की अधिकारिता की एक एकीकृत स्कीम शुरु की जाएगी।	"स्वयंसिद्ध" के कार्यान्वयन से संबद्ध परियोजना के विस्तृत ब्यौरे तथा दिशानिर्देशों को सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की परियोजना स्वीकृत करने वाली समिति ने 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 42 विकास खंडों की विशिष्ट परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। शेष विकास खंडों में परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी शक्तियां 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदान की गई है। राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत करने वाली समितियों ने 46 विकास खण्ड परियोजनाओं को स्वीकृत किया है।
73.	**पैरा सं. 67:** कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं जैसे वृन्दावन, काशी और अन्य स्थानों की विधवाओं, गरीब महिलाओं और अन्य वंचित महिला समूहों के लिए एक नई स्कीम शुरु की जानी है।	कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए 48 करोड़ रुपए लागत की "स्वाधार" नामक एक नई स्कीम स्वीकृत की गई है। परियोजना स्वीकृत करने वाली समिति ने अनन्तिम तौर पर वृन्दावन में रह रही विधवाओं के संरक्षण तथा देखभाल हेतु तीन प्रस्तावों को स्वीकृत किया है और आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसी पैटर्न पर और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले पीड़ितों की सुरक्षा तथा पुनर्वास हेतु दिल्ली सरकार से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाने की आशा है।
74.	**पैरा सं. 71:** भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक विशेष स्कीम खेतिहर मजदूर बीमा योजना को वर्ष 2001-2002 में प्रारंभ किया जाएगा। इसमें बीमा कवच के लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 100 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाया जाएगा।	इस स्कीम को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में नया नाम दिया गया है। यह एक विशेष स्कीम है, जो 18 से 60 के आयु वर्ग के किराए पर लिए गए खेतिहर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। उस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मृत्यु पर अथवा दुर्घटना के कारण पूर्ण/स्थायी अपंगता की स्थिति में लाभ प्रदान करने, सेवानिवृत्ति लाभ देने और अर्जित अधिशेष के आधार पर 10 वर्ष बाद "मनी बैक" देने की व्यवस्था है। यह स्कीम 1 जुलाई 2001 को प्रारम्भ की गई और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में 16 जिलों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
75.	**पैरा सं. 71:** एक शिक्षा सहयोग योजना, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों को 100 रुपए प्रतिमाह का शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा, को वर्ष 2001-2002 में प्रारम्भ किया जाएगा। इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाया जाएगा।	यह योजना दिनांक 31-12-2001 को प्रारम्भ की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
76.	**पैरा सं. 72:** कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन कवरेज के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिया गया है।	इसे दिनांक 1-6-2001 से प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 4-5-2001 को अधिसूचना जारी की गई। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
77.	**पैरा सं. 72:** पेंशन निधि में कर्मचारियों की मासिक मजदूरी के 1.16 प्रतिशत के सरकारी अंशदान की अधिकतम सीमा को 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा।	इसे दिनांक 1-6-2001 से प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 30-5-2001 को अधिसूचना जारी की गई। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
78.	**पैरा सं. 73ः** बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण पेंशन सुधारों के संबंध में सभी मुद्दों की जांच करेगा और 1 अक्तूबर, 2001 तक पेंशन सुधारों के बारे में एक मार्गदर्शक खाका प्रस्तुत करेगा।	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के अधीन समिति ने पेंशन सुधारों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
79.	**पैरा सं. 74ः** सूचना व प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए के अंशदान से पत्रकार कल्याण निधि का गठन किया जाना है।	5 करोड़ रुपए की निधि के साथ पत्रकार कल्याण निधि का गठन कर दिया गया है और निधि के गठन व प्रशासन के लिए मार्गनिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
80.	**पैरा सं. 75ः** आईडीबीआई अधिनियम के तहत सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके द्वारा फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। बैंक अब ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु मार्गनिर्देशों को अंतिम रुप देने की प्रक्रिया में हैं, जो बैंकों द्वारा स्वीकार्य हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक ने फिल्मों के वित्तपोषण हेतु पहले ही बैंकों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। वित्तीय संस्थाओं ने भी फिल्मों के वित्तपोषण हेतु मार्गनिर्देशों को अपना लिया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
81.	**पैरा सं. 79ः** बढ़ते हुए डाक घाटे को नियंत्रित करने के लिए डाक दरें मामूली रुप से संशोधित की जाएंगी।	की गई घोषणा के अनुसार 1 जून, 2001 से संशोधित डाक दरें प्रभावी कर दी गई हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
82.	**पैरा सं. 79ः** नई भर्तियां कुल सिविल स्टाफ की संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित की जाएंगी ताकि पांच वर्षों में 10 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।	सभी मंत्रालयों और विभागों को एक भर्ती वर्ष में उत्पन्न होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों का 2/3 भाग समाप्त करने के लिए 16 मई, 2001 को समुचित आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय और विभागों को यह निदेश भी दिए गए हैं कि सीधी भर्ती की रिक्तियों की समीक्षा के लिए जांच समितियों का गठन करें। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जैसी भर्ती एजेंसियों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे कोई ऐसा मांग पत्र स्वीकार न करें, जिनके साथ संबंधित जांच समिति द्वारा स्वीकृति प्रमाणपत्र न दिया गया हो और यह न दर्शाया गया हो कि समुचित कार्मिक सरप्लस सेल में उपलब्ध नहीं हैं।
83.	**पैरा सं. 79ः** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत सरप्लस पूल को कारगर व सरल बनाया जाएगा ताकि सरप्लस स्टाफ को पुनःतैनात किया जा सके व रखा जा सके। सरप्लस पूल के कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज दिया जाएगा।	सरकार द्वारा दिनांक 5.2.2002 को सरप्लस कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अनुमोदित किया गया है। सरप्लस कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण व पुनःतैनाती को गति प्रदान करने के दृष्टिगत सरप्लस सेल को कारगर बनाने हेतु उपायों की पहचान करने के लिए एक अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है।
84.	**पैरा सं. 79ः** सरकारी आवास पर मानक लाइसेंस शुल्क (किराया) को 1 अप्रैल, 2001 से समूह 'क' के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत, समूह 'ख' के लिए 25 प्रतिशत और स्टॉफ में अन्य संवर्गों हेतु 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।	देश भर में केन्द्र सरकार की आवासीय रिहायशों के लिए लाइसेंस शुल्क संशोधित करने वाले आदेश 10.5.2001 को जारी किए जा चुके हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
85.	**पैरा सं. 79ः** दो वर्षों के लिए अवकाश यात्रा रियायत का निलंबन।	दिनांक 2.3.2001 को आदेश जारी किए जा चुके हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
86.	**पैरा सं. 79ः** सामान्य भविष्य निधि पेंशन, वेतन और लेखा कार्यालयों, पासपोर्ट, आयकर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद	*** सामान्य भविष्य निधि और भुगतान तथा लेखा कार्यालयः** सामान्य भविष्य निधि के कम्प्यूटरीकरण सहित भुगतान

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	शुल्क जैसे कार्यकलापों को 31 मार्च, 2002 तक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों से भी कहा जा रहा है कि वे इस अवधि के भीतर अपने कार्यालयों में पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण कर लें।	तथा लेखा कार्यालय के प्रमुख क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एन.आई.सी. की सहायता से सितंबर, 2001 में एक व्यापक पैकेज, भुगतान तथा लेखा कार्यालय, 2000 शुरु किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 31 भुगतान एवं लेखा कार्यालयों ने नए साफ्टवेयर के साथ पहले ही परीक्षण शुरू कर दिया है। * **पेंशनः** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। अधिकांश मंत्रालयों से प्राप्त उत्तर दर्शाते है कि उनके कार्याकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है या इसे प्राथमिकता के आधार पर चलाया गया है। * **पासपोर्टः** 28 पासपोर्ट कार्यालयों में से 27 पहले ही कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। * **आयकरः** वर्ष के दौरान 54 प्रमुख शहरों में आयकर कार्यालयों को इस नेटवर्क पर लाया गया था। 57 शहरों में नेटवर्क पर "पैन" (स्थायी खाता संख्या) का आनलाइन आबंटन और आय विवरणियों पर कार्रवाई शुरु की जा चुकी है। देश भर में चालानों पर कार्रवाई कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है। * **सीमाशुल्कः** आयात एवं निर्यात दस्तावेजों पर कार्रवाई हेतु स्वचलन सभी 23 चुने गए सीमाशुल्क पत्तनों, हवाई पत्तनों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और भूसीमा-शुल्क केन्द्रों पर शुरू किया गया है। * **केंद्रीय उत्पाद शुल्कः** सभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों एवं मंडल मुख्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया गया है। सभी 61 समाहर्त्तालयों में कर - निर्धारितियों द्वारा दर्ज मासिक विवरणियों के आंकड़े इस प्रणाली पर लिए जा रहे हैं। * **बैंकः** सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी 27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से 70 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। * **बीमाः** जीवन बीमा निगम के सभी कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, यूनाइटेड इंडिया फरवरी, 2002 तक, न्यू इंडिया मार्च, 2002 तक, ओरिएंटल और नेशनल इन्श्यूरेंस, जून, 2002 तक अपनी शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत कर लेंगे।
87.	**पैरा सं. 80ः** व्यय सुधार आयोग, जिसका गठन पिछले वर्ष किया गया था, ने 6 मंत्रालयों और विभागों का आकार घटाने संबंधी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इनमें आर्थिक कार्य विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, सरकारी उद्यम विभाग और लघु उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। आयोग की अन्य विभागों के संबंध में रिपोर्ट आगामी 6 माह के भीतर प्राप्त हो जाएंगी। इन सिफारिशों को 31 जुलाई, 2001 तक कार्यान्वित किया जाएगा तथा अधिशेष स्टाफ को सरप्लस पूल में स्थानान्तरित किया जाएगा।	दिनांक 28.2.2000 को गठित व्यय सुधार आयोग ने निर्धारित अवधि में अपना कार्य पूरा कर लिया था और 30.9.2001 को यह परिसमाप्त हो गया। कुल मिलाकर इस आयोग ने 36 मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए 10 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। संबंधित मंत्रालय इन रिपोर्टों पर कार्रवाई संसाधित कर रहे हैं और कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु तंत्र का गठन भी कर दिया गया है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
88.	**पैरा सं. 81:** व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मैं आर्थिक कार्य विभाग के तीन सचिव/विशेष सचिव स्तर के और दो संयुक्त सचिव स्तर के पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसे चरणों में 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यय सुधार आयोग द्वारा संस्तुत 31 पदों की तुलना में निदेशक और उससे नीचे के अन्य 44 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा।	आर्थिक कार्य विभाग में विशेष सचिव का एक पद समाप्त कर दिया गया है और विशेष सचिव के दूसरे पद का दर्जा घटाकर अपर सचिव के स्तर का कर दिया गया है। मुख्य आयुक्त के पद (एन.आर.आई और निवेश), जो सचिव स्तर का पद है, के पदधारी को स्थानांतरित कर दिया गया है और भारत निवेश केंद्र की पुनर्संरचना हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त होने तक इस पद को रिक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त अपर सचिव के स्तर का एक पद, संयुक्त सचिव स्तर के दो पद और निदेशक तथा नीचे के स्तर के 44 पद समाप्त कर दिए गए हैं।
	राष्ट्रीय बचत संगठन की स्टाफ संख्या को 1191 से घटाकर लगभग 25 कर दिया जाएगा।	121 खाली पद समाप्त कर दिए गए हैं। लगभग 100 कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय बचत संगठन के संशोधित ढांचे को अंतिम रूप दिया गया है। सरप्लस कर्मचारियों को सरप्लस सैल में स्थानान्तरित किया जा रहा है।
	मुद्रा और सिक्का निर्माण प्रभाग में 1675 पद समाप्त किए जा रहे हैं जिसका पुनर्गठन व निगमीकरण किया जाएगा।	निगमीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। टकसालों/प्रैसों/कागज कारखानों में 1698 पद समाप्त कर दिए गए हैं।
89.	**पैरा सं. 82:** केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सभी विद्यमान योजनाओं को शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था के तहत लाया जाएगा और सिर्फ वे ही स्कीमें रखी जाएंगी जो दक्ष व अनिवार्य हों।	सरकारी कार्यक्रमों की दक्षता व प्रभाव सुधारने के लिए योजना आयोग द्वारा एक विस्तृत शून्य आधारित बजटीय प्रक्रिया शुरु की गई है। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार के 50 विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना स्कीमों की समीक्षा की गई है।
90.	**पैरा सं. 82:** सभी योजनाएं, जो एक समान स्वरूप की हैं, उनके दोहराव को समाप्त करने के लिए एकरुप कर दिया जाएगा।	योजना आयोग के सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ इस मामले की सभीक्षा की। कृषि और सहकारिता विभाग, पशुपालन और डेयरी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, भूमि संसाधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन मंत्रालय, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों की समीक्षा की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग तथा जनजातीय विकास विभाग के संदर्भ में इन्हें एक करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और दसवीं योजना को अंतिम रूप देने से पहले इसे पूरा कर लिए जाने की आशा है।
91.	**पैरा सं. 82:** केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो राज्यों को अंतरित हो सकती हैं, की पहचान की जाएगी।	केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों दोनों से सदस्यों को शामिल करके योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतरण संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की इस समिति की अवधि 31.3.2002 तक है। यह निर्णय लिया गया कि आयोजना स्कीमों को समाप्त करने, विलयन, एकीकरण आदि के संबंध में हुए निर्णयों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतरण के प्रश्न से जोड़ने की आवश्यकता है। स्कीमों को एक करने की कार्रवाई वर्तमान में योजना आयोग के विचाराधीन है। शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था, एकीकरण और केंद्रीय प्रायोजित व केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों को समाप्त करने के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन भी किया गया है।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
92.	**पैरा सं. 83ः** जो 1 अक्तूबर, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश करेंगे उन्हें परिभाषित अंशदान पर आधारित नए पेंशन कार्यक्रम के माध्यम से पेंशन मिलेगी। विद्यमान पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और सरकार द्वारा किए जाने वाले अगले उपायों की रूपरेखा के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा। यह समूह तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।	दिनांक 25 जून, 2001 को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इस समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसकी सिफारिशों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 1.6.2002 के पश्चात् केंद्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकों को संशोधित स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिलेगी।
93.	**पैरा सं. 84ः** दिनांक 1 मार्च, 2001 से अधिकांश प्रशासित ब्याज दरें 1.5 प्रतिशत घटाई जा रही हैं। इन दरों के निर्धारण हेतु एक बेहतर प्रणाली का पता लगाने की सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाएगी।	इस समिति ने 5.10.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।
94.	**पैरा सं. 86ः** ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसरण में राज्यों को अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार क्रियान्वित करने को प्रोत्साहन देने के लिए अगले पांच वर्षों हेतु 10,607 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि निर्धारित की गई है। राजकोषीय वर्ष 2001-2002 में इस प्रोत्साहन निधि के लिए 4,243 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।	अनुवीक्षण समिति की बैठक में आठ राज्यों अर्थात उड़ीसा, कर्नाटक, नागालैंड, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, अरूणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया है। उड़ीसा, कर्नाटक और नागालैंड सरकारों ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया है और 6 फरवरी, 2002 तक प्रोत्साहन निधि से राज्यों को 1,236.95 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके हैं।
	पैरा सं. 25ः ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन निधि से सहायता को विद्युत सुधारों की उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाएगा।	राज्यों द्वारा तैयार किए गए मध्यावधिक राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्रक में "अप फ्रंट" सुधार भी शामिल हैं। सुधारों के समयबद्ध कार्रवाई बिंदुओं को समझौता ज्ञापन में शामिल किया गया है।
95.	**पैरा सं. 88ः** चालू वर्ष के दौरान आठ अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है।	सरकारी क्षेत्र के आठ अव्यवहार्य के उपक्रम अर्थात् भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि., वेबर्ड (इंडिया) लि., रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज़ कार्पोरेशन, टेनरी एंड फुटवियर कार्पोरेशन लि., नेशनल बाईसिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि., साईकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. और मांडया नेशनल पेपर मिल्स लि. को संबंधित सरकार से बंद करने की अनुमति मिलने के परिणामस्वरूप बंद कर दिया गया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
96.	**पैरा सं. 88ः** नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की विभिन्न मिलों के पुनरुद्धार और बंद करने के लिए भी उपायों का पैकेज अनुमोदित किया गया है।	बी.आई.एफ.आर. के अनुमोदन के पश्चात 20 कार्य न कर रही मिलों के संबंध में आई.डी. अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के समाप्ति आवेदन प्रस्तुत करने का अनुमोदन कर दिया है। पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वनय की प्रक्रिया शुरु करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. से लघु अवधि ऋण लेने हेतु एन.टी.सी. के पूर्व के प्रस्ताव में अंशतः संशोधन करते हुए सरकार ने ऋण के बदले 500 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर बांड जारी करने की गारंटियों की सहमति दी है। बी.आई.एफ.आर. ने एन.टी.सी. की आठ सहायक कंपनियों के मामले में सुनवाई हेतु फरवरी, 2002 में तारीखें निश्चित की हैं।

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
97.	**पैरा सं. 89:** 27 कंपनियों का निजीकरण अनुमोदित हो चुका है जिसके लिए वर्ष के दौरान विनिवेश प्रक्रिया के पूरा होने की संभावना है। इनमें अन्यों को अलावा, विदेश संचार निगम लि., एयर इंडिया और मारुति उद्योग लि. शामिल हैं।	वर्ष 2001-2002 के दौरान एच.टी.एल. लिमिटेड में 74 प्रतिशत इक्विटी और सी.एम.सी. लिमिटेड में 51 प्रतिशत इक्विटी अनुकूल क्रेताओं के पक्ष में विनिवेशित कर दी गई है। होटल बोधगया अशोक और होटल हासन अशोक में 100 प्रतिशत विनिवेश पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, आई.टी.डी.सी. के 6 होटलों अर्थात होटल मदुराई अशोक, टेंपल बे अशोक बीच रिसार्ट, ममलापुरम, होटल आगरा अशोक, लोधी होटल, नई दिल्ली, कुतुब होटल, नई दिल्ली और लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर में सरकार द्वारा 100 प्रतिशत विनिवेश की बोलियां अनुकूल क्रेताओं के पक्ष में अनुमोदित की गई हैं। होटल अशोक बंगलौर को भी दीर्घावधि के पट्टे-सह प्रबंध संविदा आधार पर दिया जा चुका है। होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एयर इंडिया की सहायक कंपनी के सेंटूर होटल जुहु बीच, मुंबई, इंडो होके होटल लिमिटेड (सेंटूर राजगीर) और सेंटूर होटल एयरपोर्ट, मुंबई के संबंध में विनिवेश सौदा भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। सरकार ने आई.बी.पी. लिमिटेड की इक्विटी के 33.58 प्रतिशत और विदेश संचार निगम लिमिटेड के 25 प्रतिशत विनिवेश करने के लिए मूल्य बोलियां अनुमोदित की हैं। इस वर्ष में अब तक, विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई राशि (सहायक कंपनियों सहित व प्राप्त लाभांश आदि सहित) और पहले लिए गए निर्णयों के आधार पर वसूल होने वाली प्रत्याशित राशि लगभग 5,573 करोड़ रुपए होगी। मारुति उद्योग सहित 28 कंपनियों में विनिवेश प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया में आरंभ में भावी बोलीदाताओं से 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए परन्तु सिर्फ दो पार्टियों ने उचित उद्यम/आंकड़ा कक्ष अध्ययन किया, उन्होंने भी बाद में हाथ खींच लिए। विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर के हमलों के पश्चात किसी बड़े वैश्विक विमानन ने दिलचस्पी नहीं दिखलाई। इसलिए बोलीदाताओं के अभाव में एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।
98.	**पैरा सं. 92:** भूकंप के परिप्रेक्ष्य में गुजरात के लिए 800 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ व्यवस्था हो गई है।	विश्व बैंक ने पहले चरण में गुजरात संकटकालीन राहत और पुनर्वास हेतु 303 मिलियन अमरीकी डालर का आई.डी.ए. ऋण अनुमोदित किया है। दिनांक 1.2.2002 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक द्वारा 207.67 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि संवितरित की गई और लगभग 7 मिलियन डालर की राशि के दावे प्रक्रियाधीन हैं। गुजरात संकटकालीन राहत और पुनर्वास चरण-II के क्षेत्र और आकार को नया रूप दिया जा रहा है और प्रत्याशा है कि संभवत जून, 2002 से पहले लगभग 350 मिलियन अमरीकी डालर की राशि वाले पैकेज पर बातचीत हो जाएगी और विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त गुजरात भूकंप पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 26 मार्च, 2001 को एशियाई विकास बैंक बोर्ड द्वारा 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित कराया गया था और 26 अप्रैल, 2001 को इसके करार पर

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		हस्ताक्षर हुए थे। यह ऋण 17 मई, 2001 से प्रभावी घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक बोर्ड ने भूकंप पुनर्वास एवं आवास पुनर्निर्माण क्षमता निर्माण हेतु 1.3 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता अनुमोदित की है। चूंकि आवास संघटक के लिए सस्ते आई.डी.ए. फंड (विश्व बैंक) के माध्यम से 150 मिलियन अमरीकी डालर की रियायती सहायता उपलब्ध है, अतः एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर रद्द करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से समग्र सहायता 800 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने की संभावना है।
99.	**पैरा सं. 92ः** राष्ट्रीय आवास बैंक और "हुडको" के बीच 2000 करोड़ रुपए तक के कर-मुक्त बांडों का विशेष कोटा आबंटित किया जाएगा।	"हुडको" को कुल 250 करोड़ रुपए के कर-मुक्त बांड आबंटित करते हुए दिनांक 5.7.2001 और 7.1.2002 को अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
100.	**पैरा सं. 92ः** "हुडको" और राज्य सरकार (गुजरात की) द्वारा अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा इंदिरा आवास योजना में निर्माण के लिए प्रयुक्त सीमेंट और इस्पात को उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी।	आवश्यक अधिसूचना दिनांक 26.3.2001 को जारी की गई थी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
101.	**पैरा सं. 92ः** गुजरात सरकार को कर-मुक्त भूकम्प राहत बांड जारी करके निधियां जुटाने योग्य बनाया जाएगा।	राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक छूट दी गई है। तथापि, गुजरात सरकार ने व्यय विभाग के अनुमोदन से बाजार उधार लेने का विकल्प दिया है। चालू वर्ष का आबंटन 750 करोड़ रुपए है। गुजरात सरकार 8 वर्षों के लिए 9.3 प्रतिशत की दर पर 250 करोड़ रुपए पहले ही जुटा चुकी है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
102.	**पैरा सं.143ः** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क संबंधी प्रक्रियाओं और अनुदेशों की एक नई नियम-पुस्तिका दिनांक 1 सितम्बर, 2001 तक प्रकाशित की जाएगी।	नई नियम-पुस्तिका सितम्बर, 2001 में जारी की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
103.	**पैरा सं. 149ः** वर्ष 1991 की जनगणना द्वारा यथापरिभाषित सभी शहरी क्षेत्रों में छः में से एक योजना का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना से हुए परिवर्तनों को बाद में शामिल किया जाएगा।	वर्ष 1991 की जनगणना द्वारा यथापरिभाषित सभी शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए मई, 2001 में अधिसूचना जारी की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**